

RAJYA SABHA

Friday, 28th June, 2019/7th Ashadha, 1941 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

Notification of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अधीन मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का प्रतिस्थापन करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) दिनांक 8 फरवरी, 2017 का संशोधन करने वाली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1226 (अ) दिनांक 8 मार्च, 2019 की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. L.T. 37/17/19]

Memorandum of Understanding between the Government of India and NSC

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदय, मैं 2019-20 के वर्ष के लिए भारत सरकार (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) और राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) लिमिटेड के बीच सम्पन्न सहमति ज्ञापन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. L.T. 96/17/19]

Reports and Accounts (2017-18) of KMRCL, Kolkata and CRIS, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ANGADI SURESH CHANNABASAPPA): Sir, I lay on the Table —

- I.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—
- (a) Annual Report and Accounts of the Kolkata Metro Rail Corporation Limited (KMRCL), Kolkata, for the year 2017-18, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.